राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 211/2021

1. शेरसिंह पुत्र सागर जाति मेधववाल निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना।
2. मानसिंह पुत्र सागर जाति मेधववाल निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना।
3. हरिसिंह पुत्र सागर जाति मेधववाल निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना।
4. दिनेश पुत्र दुर्गा।
5. सजना पत्नी दुर्गा।
6. सन्दीप पुत्र दुर्गा।

समस्त जाति मेधववाल निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना।

..........वादीगण

बनाम

राज. सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार बुहाना, झुन्झुनूं राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

दावा– धोषणात्मक, नक्शा दुरूस्ती

दिनांक :– 19-01-2022

–:: निर्णय ::–

वदीगण की ओर से वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि–

1. यह है कि वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता संख्या 483 के खसरा नम्बर 689 रकबा 0.70 है., खसरा नम्बर 690 रकबा 0.71 है., किता 2 कुल रकबा 1.41 है. के खातेदार काश्तकार वादी सं. 1 लगायत 3 हिस्सा 1/2 तथा वादी सं. 4 लगायत 6 के हकपूर्वाधिकारी दुर्गा पुत्र मंगला हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। खातेदार दुर्गा पुत्र मंगला भी फौत हो चुका है। जिसके वारिस वादी संख्या 4 लगायत 6 जिनके नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी है। जिस बाबत वादीगण को कोई किसी प्रकार का विवाद नही है।
2. यह कि वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 689, 690 के दक्षिण में ग्राम पचेरी कलां की आबादी भूमि खसरा नम्बर 2861/690 रकबा 0.30 है. मियाल जोड सटकर स्थित है जो नक्शा लठ्ठा में दर्ज है।
3. यह कि वादीगण ने अपनी भूमि खसरा न[illegible] 690 का आपस में सहमति से तहसीलदार कार्यालय में विभाजन करवा लिया [illegible] अनुसार वादी सं. 1 के हिस्से में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 16:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

689/1 रकबा 0.2350 है., वादी संख्या 3 के हिस्से में खसरानम्बर 689/2 रकबा 0.2350, वादी संख्या 2 के हिस्से में खसरा नम्बर 689/3 रकबा 0.23 है., तथा वादी संख्या 4 के हिस्से में खसरा नम्बर 690/1 रकबा 0.33 है., वादी संख्या 4 लगायत 6 के हिस्से में खसरा नम्बर 690/2 रकबा 0.38 है. विभाजन में दर्ज हुई। जिसके हाल खसरा नम्बर 3082/689, 3083/689, 3084/689, 3085/690, 3086/690 सिगरिकेशन में बने है।

4. यह कि वादीगण की जभूमि का जब विभाजन किया गया तो पटवारी हल्का द्वारा नक्शा लठ्ठा के अनुसार पहले विभाजन दर्ज कर दिया लेकिन बाद में उसको करटकर सिगरिकेशन में दर्ज नक्शे के अनुसार विभाजन दर्जकर दिया। जबकि दर्ज नक्शा लठ्ठा में सबसे उत्तर में 689, 690 तथा 690 के दक्षिण में आबादी भूमि खसरा नम्बर 2861/690 दर्ज है जबकि सिगरिकेशन हुआं उस समय ऑनलाईन नक्शे बनाये गये उसमें गलती से आबादी भूमि खसरा नम्बर 2861/690 को खसरा नम्बर 690 की जगह दर्ज कर दिया तथा 690 को 2861/690 कीजगह दर्ज करते हुए नक्शा गलत बना दिया। जबकि खसरा नम्बर 690, 689 से सटता हुआं दर्ज है।खसरा नम्बर 690 में खसरा नम्बर 2861/690 आबादी भूमि है मौके पर भी आबादी इसी तरह बसी हुई है।

5. यह कि सिगरिकेशन में जो नक्शा व उसके खसरा नम्बर गलत दर्ज करने सें मौके की स्थिति बदल गई है। इसलिए वर्तमान खसरा नम्बर 2861/690 की जगह खसरा नम्बर 690 दर्ज करते हुए वादी संख्या 4 लगायत 6 को विभाजन के अनुसार खातेदार कास्तकार धोषित किया जावे। जिस जगह सिगरिकेशन में खसरा नम्बर 690 दर्ज है वहां पर खसरा नम्बर 2861/690 रकबा 0.33 है. दर्ज करते हुए नक्शे की स्थिति पूर्व की भांति नक्शा लठ्ठा के अनुसार दुरूस्त करते हुए किया जावे।

वदीगण ने वाद-पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि-

(क). कि वाके गाम पचेरी कलां तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 690 व खसरा नम्बर 2861/690 का नक्शा लठ्ठा के अनुसार खसरा नम्बर 690 को खसरा नम्बर 689 के सटते हुए तथा खसरा नम्बर 690 के दक्षिण में खसरा नम्बर 2861/690 दर्ज करते हुए नक्शा दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुसार वादीगण ने जो विभाजन किया है उसकी खातेदारी धोषित किया जाकर नाम दर्ज किया जावे। वर्तमान नक्शे में जिस जगह खसरा नम्बर 2861/690 दर्ज है वहां पर खसरा नम्बर 690 रकबा 0.71 है दर्ज किया जावे तथा जिस जगह खसरा नम्बर 690 दर्ज वहां पर खसरा नम्बर 2861/690 दर्ज किया जावें। विभाजन के अनुसार खसरा नम्बर 690 के दो खसरा नम्बर 3085/690, 3086/690 दर्ज करते हुएवादी सं. 4 लगायत 6 को विभाजन के अनुसार खातेदार दर्ज करते हुए रिकार्ड व नक्शे दुरूस्त किया जावे।

(ख). अन्य कोई अनुतोष मांगे जाने से रह गया हो वह न्यायालय श्रीमान जी देना उचित समझे वादी को दिलवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(2) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी तहसीलदार बुहाना मौका वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त हुई।

(3). वादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2070–73, जमाबंदी सं. 2075–78, जमाबदी सं. 2075–78, जमाबंदी सं. 2075–78, जमाबंदी सं. 2075–78, जमाबंदी सं. 2075–78, जमाबंदी सं. 2075–78, जमाबंदी सं. 2075–78,नक्शा ट्रेस, सहमति विभाजन प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि पेश किये गये।

(4) पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। प्रतिवादी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर वादीगण दावा डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रकार वाद वादीगण प्रतिवादी जांच रिपोर्ट व नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) के मुताबिक न्यायालय डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके वाके ग्राम पचेरी कलां स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 689 के नये खसरा नम्बर 3082/689, 3083/689, 3084/689 तथा खसरा नम्बर 690 के नये खसरा नम्बर 3085/690,3086/690 तथा खसरा नम्बर 2861/690 आबादी भूमि की सीमाऐं तहसीलदार बुहाना की मौका जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में दर्शाया गया है, के अनुसार नक्शा लठ्ठा में तरमिम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, बुहाना को तहरीर जारी हो। मौका जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 19-01-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 211/2021
निर्णय दिनांकः– 19-01-2022

शेरसिंह आदि **बनाम** राजस्थान सरकार

दावा– धोषणात्मक, नक्शा दुरूस्ती

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की व प्रतिवादी तहसीलदार बुहाना की उपस्थिीत मे इस वाद में आज तारीख 19-01-22 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके वाके ग्राम पचेरी कलां स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 689 के नये खसरा नम्बर 3082/689, 3083/689, 3084/689 तथा खसरा नम्बर 690 के नये खसरा नम्बर 3085/690,3086/690 तथा खसरा नम्बर 2861/690 आबादी भूमि की सीमाऐं तहसीलदार बुहाना की मौका जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में दर्शाया गया है, के अनुसार नक्शा लठ्ठा में तरमिम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, बुहाना को तहरीर जारी हो। मौका जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। **रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे।**"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19-01-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested